दिनांक 19 जून, 1987

सं० ओ० वि०/यमुना/38-87/24030--चंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० 1. परिवहन आयुक्त हरियाणा चण्डीगढ़ (2) जनरल मैनेजर हरियाणा रोड़वेज, यमुनानगर के श्रमिक श्री सोम नाथ कण्डक्टर नं. 220, मकान नं. 323, दुर्गा गार्डन, जगाधरी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एव पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री सोम नाथ को सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ. वि./यमुना/13-87/24037--चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० हरदेव सा मिल्ज यमुनानगर रोड़ जगाधरी के श्रमिक श्री शीश पाल पुत्र श्री शंकर दास मार्फत डा० सुरेन्द्र कुमार शर्मा इन्टक धर्मशाला ब्राह्मण रेलवे रोड़ जगाधरी तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री शीश पाल की सेवाओं का समापन/छांटी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

आर. एस. अग्रवाल,
उप सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग ।

PROTOCOL AND TOURISM DEPARTMENT

The 26th June, 1987

No. 28/4/78-6PP.—In pursuance of Article 61(c) of the Articles of Association of Haryana Tourism Corporation Ltd., the Governor of Haryana is pleased to accept the resignation of Shri K. L. Poswal, Ex. M.L.A., Chairman of the Board of Directors of Haryana, Tourism Corporation Ltd., Chandigarh with effect from 25th June, 1987.

S. K. SHARMA,
Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Tourism Department.

Dated Chandigarh
the 26th June, 1987.

25697 CS(H)—Govt. Press, U.T., Chd.